

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 87/2022

तारीख : 13/4/2022

भैरु पुत्र भंवरिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) प्राथी

बनाम

01. गोपाल पुत्र उंकार जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नानालाल पुत्र घीसा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गोर्धन निवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. कमलेश पुत्र खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गोर्धन निवास बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. उदा पुत्र नन्दा जाति भील उम्र वयस्क निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक:

प्रार्थना पत्र प्राथी भैरु पुत्र भंवरिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 138 पर अंकित आराजी संख्या 198 रकबा 1.0603 हेक्टेयर, आराजी संख्या 199 रकबा 0.2347 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि सामलाती पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्राथी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्राथीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 138 पर अंकित आराजी संख्या 198 रकबा 1.0603 हेक्टेयर, आराजी संख्या 199 रकबा 0.2347 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि सामलाती बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया